

**कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी।**

संख्या : **893** / जि0आ0अधि0-मैनपुरी / व्यवस्थापन 21-22 / ई-लाटरी / दिनांक , अगस्त **05** 2021

**विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-682-756 / टास्क फोर्स-2 / ई- लाटरी / 2021-22 / दिनांक, अगस्त 24, 2021 के क्रम में दी गयी सयम-सारणी के अनुसार 'जनपद मैनपुरी में देशी शराब की 01 नवसृजित दुकान का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से आनलाइन आवेदन <http://upexciseelottery.gov.in> के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। नवसृजित दुकान से संबंधित विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	दुकान का नाम	शाप आई0डी0	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में)	निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस	निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	निर्धारित धरोहर धनराशि (रु० में)	हैसियत / सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु० में)
1	व्यौतीकला थाना एलाऊ	<b>35808</b>	ग्रामीण	12000 ब0ली0	426000	271200	42600	523000

**समय सारणी**

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	आनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	06.8.2021 मध्यान्ह 12:00 बजे से
2	आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	11.08.2021 को सायं 5:00 बजे तक
3	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	13.8.2021 को सायं 5.00 बजे तक
4	तृतीय चरण की ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	17.8.2021 को अपरान्ह 1.00 बजे से 2.30 बजे तक कलैक्ट्रेट सभाकक्ष मैनपुरी

दुकान के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी मैनपुरी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क कर तथा मोबाइल नं०-9454466361, 9454466869, 9454465664 प्राप्त की जा सकती है।

(दिनेश कुमार)

जिला आबकारी अधिकारी,  
मैनपुरी।

संख्या : **894** / तददिनांक

प्रतिलिपि :- जिला सम्पादक दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान जनपद-मैनपुरी को इस आशय से कि प्रेषित उक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण के अग्रिम अंक में न्यूनतम स्पेस पर प्रकाशित कर बिल जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)

लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी,  
मैनपुरी।

जिला आबकारी अधिकारी,  
मैनपुरी।